

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान
कार्यालय संचालक
म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)
कलियासोत डेम के पास, कोलार रोड, भोपाल-462016
दूरभाष : 0755-4082502, 4082525

निविदा प्रपत्र

- | | |
|---|---|
| 1. निविदा क्रमांक | : /वाल्मी/ दिनांक |
| 2. कार्य का नाम | : सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सुरक्षा व्यवस्था |
| 3. कार्य की अनुमानित लागत | : रु. 64.00 लाख (चौसठ लाख) |
| 4. कार्य की समयावधि | : अनुबंध दिनांक से दो वर्ष |
| 5. ई-निविदा दस्तावेज का क्रय मूल्य | : रुपये 2000/- (दो हजार मात्र) |
| 6. ई-निविदा दस्तावेज प्रकाशित करने की तिथि | : 28 जनवरी 2021 |
| 7. निविदा दस्तावेज अवलोकन हेतु उपलब्ध | : www.mpwalmi.org |
| 8. ई-निविदा दस्तावेज क्रय करने की तिथि | : 15 फरवरी 2021 |
| 9. ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय | : 16 फरवरी 2021 सायं 4 (चार) बजे तक |
| 10. तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि व समय | : 17 फरवरी 2021 को अपरान्ह 02.00 बजे
: स्थान- वाल्मी भोपाल |
| 11. ई- वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि व समय | : वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय पृथक से सूचित किया जावेगा |
| 12. धरोहर राशि | : रु. 01.28 लाख (रुपये एक लाख अट्ठाइस हजार)
डिमांड ड्राफ्ट अथवा सावधि जमा रसीद में जमा करना होगा |

निविदाकार का नाम व पता :

.....

.....

भोपाल

निविदा क्र. /वाल्मी/के.भ./ /

भोपाल, दिनांक / /

निविदा प्रपत्र

1. कार्य का नाम : सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सुरक्षा व्यवस्था
2. निविदाकार का पूरा नाम :
व पता :
3. दूरभाष नं./फेक्स/मोबाइल नं. :
4. निविदाकार का पंजीयन क्रमांक :
एवं दिनांक व उस कार्यालय का नाम
जहां उसका वैधानिक पंजीयन है ।
वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया
जायें
(अ) ई.एस.आई.सी. पंजीयन का वैध प्रमाण पत्र
(ब) जी.एस.टी. का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र
(स) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीयन
(द) प्रायवेट सिक्यूरिटी एजेंसीज (रेग्यूलेशन एक्ट
2005 का वैध पंजीयन
(इ) श्रम कल्याण मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र
5. पंजीयन किस दिनांक तक वैध है
(प्रत्येक की वैधता तिथि अंकित करें) :
6. निविदाकार के मुख्य कार्यालय से :
पृथक यदि कोई अन्य शाखा कार्यालय
हो तो उसका पूर्ण विवरण, पता, फोन
नम्बर, आदि बतायें
7. निविदाकार की वित्तीय स्थिति, बैंकों :
के नाम,पते एवं दूरभाष क्रमांक जिनमें
निविदाकार के खाते संचालित हो
8. निविदाकार का विगत तीन वर्ष 2017-18,
2018-19 एवं 2019-20का औसत वार्षिक चलित :
राशि का विवरण (रु. 02.15 करोड़ प्रति वर्ष) से
कम न हो। सनदी लेखाकार द्वारा आडिटेड लेखा
निविदा प्रपत्र के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा।
9. क्या निविदाकार द्वारा दिनांक 31.3.2020 :
तक शासन को सभी करों का भुगतान
शासन को कर दिया गया है ?
10. निविदाकार का स्थाई आयकर नं.(पेन नं.) :
11. क्या किसी विधि/सक्षम न्यायालय में :
निविदाकार के विरुद्ध कोई दावा या वाद
प्रचलन में है ? यदि हों तो संबंधित
न्यायालय का नाम एवं वाद/दावा
के स्वरूप का विवरण अंकित करें।

12. पूर्व अनुभव (विगत 3 वर्ष) का संपूर्ण विवरण दें ।

स.क्र.	शासकीय/अर्द्ध शासकीय/भारत सरकार/ राज्य सरकार/ शासन के उपक्रम विशेष तौर पर प्रशिक्षण संस्थान जिसमें कार्य किया हो का अनुभव । कार्यालय द्वारा जारी कार्यादेश की प्रति जिसमें सुरक्षा कर्मियों की संख्या उल्लेखित हो जमा किया जाना आवश्यक होगा ।	कार्यावधि
1		
2		
3		
4		
5		

14. निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने की सुपटित ई-रसीद संलग्न करना अनिवार्य है ।

15. संस्था के पास उपलब्ध संसाधन (तकनीकी/मानव संसाधन) का पूर्ण विवरण दें ।

16. निविदा के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद का विवरण

डी.डी. क्रमांक व दिनांक	अदाकर्ता बैंक का नाम	राशि (अंकों में)	राशि (शब्दों में)

17. क्या सुरक्षा एजेंसी द्वारा आवश्यकता होने पर आर्मी से अवकाश प्राप्त सैनिक सुरक्षाकर्मी के रूप में उपलब्ध करायेगें । (हाँ/नहीं)

नोट: सभी गार्ड वर्दी, टार्च, सीटी, डंडा एवं आवश्यक लेखन सामग्री सहित तैनात होंगे । यह सामग्री निविदाकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

निविदा हेतु आवश्यक सूचनाएँ एवं शर्तें

1. निजी सुरक्षा एजेंसी के पास सुरक्षा एजेंसी अधिनियम 2005 के अंतर्गत बैध लाइसेंस होना आवश्यक है।
2. सुरक्षा एजेंसी के विरुद्ध पुलिस अथवा शासन स्तर पर कोई वित्तीय अनियमितता एवं आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए एवं बर्खास्तगी का प्रकरण भी नहीं होना चाहिए।
3. सुरक्षा एजेंसी का शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय संगठनों की सुरक्षा कार्य संबंधी कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
4. सुरक्षा एजेंसी के पास नियमित रूप से सुरक्षाकर्मी हों जिससे कि किसी कर्मचारी की गैर हाजिरी में अन्य कर्मचारी को कार्य पर संलग्न किया जा सके।
5. सफल निविदाकार को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रु. 06.40 (रुपये छः लाख चालिस हजार) का बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद जो **संचालक, म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल** के पक्ष में देय हो, सुरक्षा राशि के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो अनुबंध समाप्त होने पर विवाद रहित स्थिति में वापसी योग्य होगी। निविदाकारों की धरोहर राशि निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात वापस कर दी जायेगी।
6. निविदाकर्ताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निविदा खोले जाते समय यदि कोई निविदाकार अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहता है, तब भी निविदा खोले जाने की आवश्यक कार्यवाही बिना किसी प्रतीक्षा के सम्पन्न की जावेगी तथा इस संदर्भ में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. बिना कोई कारण बतायें किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार **संचालक म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल** का होगा व संचालक द्वारा लिया गया निर्णय विधिमान्य होगा तथा संचालक वाल्मी को बिना कोई कारण बताये संपूर्ण निविदा प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. सेवा प्रदाय में किसी भी प्रकार की शिथिलता, उदासीनता अथवा विलंब के कारण संस्थान को हुई क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा तथा हानि के मूल्यांकन अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति का दायित्व भी निविदाकार का होगा।
9. निविदाकार को वित्तीय निविदा प्रपत्र अनुसार दरे उपलब्ध कराना होगी।
10. सफल निविदाकार को कार्य आदेश में दर्शाई गई तिथि से कार्य सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से दो वर्ष तक वैध होगी जिसे परस्पर सहमति से आगामी एक वर्ष बढ़ाया जा सकेगा। इस मध्य यदि सफल निविदाकार अपना कार्य अनुबंधित शर्तों के अनुसार सम्पन्न नहीं करता है अथवा बिना कोई विधिसम्मत सूचना दिये कार्य बन्द कर देता है तो निविदाकार द्वारा जमा कराई गयी प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जायेगी साथ ही इस स्थिति में अनुबंधानुसार निविदाकार की कोई भी देय राशि जो संस्थान की ओर से शेष रहती है, वह राशि भी भुगतान योग्य न होकर राजसात किये जाने योग्य होगी।
11. निविदाकार एवं संस्थान के मध्य किसी भी विवाद पर संस्थान के संचालक का निर्णय अंतिम होगा। निर्णय अस्वीकार होने की दशा में विवाद का न्यायिक क्षेत्र भोपाल ही होगा।
12. अनुबंध अवधि में समय-समय पर किये जाने वाले भुगतानों से नियमानुसार देय करों की कटौती की जावेगी।
13. निविदा के साथ आयकर अदेयता प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें।
14. सुरक्षा गार्डों की संख्या अनुमानित है तथा इसमें आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
15. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
16. **तकनीकी निविदा प्रपत्र एवं धरोहर राशि का ड्राफ्ट, ई निविदा कय रसीद** पृथक-पृथक लिफाफों में निर्धारित तिथि एवं समय पर कार्यालय में प्रस्तुत किये जावें जिन पर इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
17. सर्वप्रथम धरोहर राशि का लिफाफा खोला जायेगा सही पाने पर ही तकनीकी निविदा प्रपत्र का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदाकार की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से दी जायेगी।
18. निविदाकार के तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन किया जावेगा तदनुसार ही वित्तीय निविदा खोली जा सकेगी।
19. सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी के दौरान लापरवाही करते पाये जाने पर अनुबंधित संस्था पर पेनाल्टी लगाई जायेगी।
20. किसी भी स्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। संस्था द्वारा संपादित किये गये कार्य का आंकलन कर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पश्चात् ही देयक का भुगतान किया जावेगा।

21. निविदाकार से हुये वार्षिक अनुबंध अनुसार देय राशि का भुगतान प्रतिमाह कार्य पूर्णतः संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किया जायेगा। समय-समय पर भुगतान की जाने वाली राशि पर आयकर नियमों के तहत देय दर से आयकर/सर्विस टैक्स/जीएसटी आदि की कटौती करने का अधिकार संस्थान का होगा।
22. श्रम अधिनियम के अंतर्गत की गई कटौतियों के चालान की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों को श्रम अधिनियम के अंतर्गत सम्पूर्ण स्वत्वों का भुगतान करने की जबाबदारी निविदाकार की होगी। संस्थान द्वारा पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
24. कार्य के दौरान अनुबंधित संस्था या उसका कोई भी कर्मी, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा यदि ऐसा करता पाया गया तो अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त माना जायेगा एवं धरोहर राशि को जप्त कर लिया जायेगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
25. निविदाकार को अनुबंध एवं निविदा के अनुसार स्वयं कार्य करने हेतु बाध्य है एवं किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य उपठेकेदार/संगठन को नहीं दे सकेगा।
26. निविदाकार के कर्मचारियों द्वारा संस्थान की चल-अचल संपत्ति को किसी भी तरह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से छति पहुँचाई जाती है अथवा चोरी, नुकसान हानि की घटना होती है तो उसकी सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी एवं इसका समस्त क्षतिपूर्ति की राशि निविदाकार को वहन करना होगी।
27. निविदाकार द्वारा लगाये गये सुरक्षाकर्मी को निर्धारित वर्दी में तथा अन्य संबंधित सामग्री जैसे सीटी, टार्च डंडा, वर्दी तथा परिचय पत्र में रहना आवश्यक है। उक्त सामग्री निविदाकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी जिसके लिये पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा।
28. सुरक्षाकर्मियों का फोटो परिचय पत्र संस्थान के सुरक्षा प्रभारी के पास जमा कराना आवश्यक होगा।
29. किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रकरण की स्थिति में वाद व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही भी निविदाकार द्वारा की जायेगी।
30. सुरक्षा कर्मियों की कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्यालयीन समय पर अभद्र व्यवहार, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर संस्थान द्वारा निविदाकार से निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जायेगी।

स.क्र.	विवरण	क्षतिपूर्ति की राशि प्रतिदिन प्रति सुरक्षाकर्मी
1	सुरक्षाकर्मी निर्धारित वर्दी में न होने पर	200 /—
2	सुरक्षाकर्मी के पास सीटी, डंडा न होने पर	220 /—
3	सुरक्षाकर्मी के अनुपस्थित होने पर	200 /—
4	सुरक्षाकर्मी के पास आई कार्ड न होने पर	200 /—
5	सुरक्षाकर्मी द्वारा अभद्र व्यवहार कार्य में लापरवाही तथा अनुशासन हीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर	1000 / से 10000 /—
6	संस्थान परिसर में चोरी होने अथवा परिसर की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर क्षतिपूर्ति	हानि का आंकलन अनुसार
7	निविदाकार द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर	रु. 10000 /— अथवा अनुबंध निरस्त करते हुये धरोहर राशि राजसात करने की कार्यवाही

31. सुरक्षाकर्मी कर्मी कम से कम 8वीं परीक्षा पास होना आवश्यक है। निविदाकार को इस योग्यता का सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराना होगा।
32. निविदा खोलने हेतु निर्धारित की गयी तिथि को यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस में निर्धारित किये गये समय पर निविदा खोली जायेगी।
33. निविदाकार द्वारा प्रथम वर्ष में कार्य संतोषजनक पूर्ण किये जाने पर परफार्मेंस राशि हेतु जमा कुल राशि का 20 प्रतिशत वापस की जायेगी तत्पश्चात द्वितीय वर्ष में संतोषजनक कार्य पूर्ण किये जाने पर 20 प्रतिशत की राशि वापस की जायेगी।
34. दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात यदि कार्यावधि में वृद्धि की जाती है तो तृतीय वर्ष की समाप्ति पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने पर तथा अन्य कोई वसूली शेष नहीं रहने पर 60 प्रतिशत वापस की जायेगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

घोषणा — पत्र

एतद्द्वारा मैं (निविदाकार का नाम) पुत्र.....

आयु वर्ष निवासी(पूर्ण पता) यह

घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु प्रस्तुत निविदा से संबंधित सभी शर्तें मेरे द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ ली गई हैं तथा मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं। मेरी संस्था के पास समस्त आवश्यक अनुज्ञप्तियां, पंजीकरण तथा स्वीकृतियाँ प्राप्त हैं। मेरी संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गयी जानकारीयां पूर्णतः सत्य एवं प्रामाणिक हैं। किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर संस्थान की ओर से की गयी वैधानिक कार्यवाही मुझे/हमें मान्य होगी। मेरी संस्था को किसी भी शासकीय विभाग/किसी भी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सुरक्षा व्यवस्था
तकनीकी प्रस्ताव का प्रारूप

क्रमांक	विवरण	अपलोड करें
1	निविदाकार सेवाप्रदाता फर्म का पैन कार्ड	
2	वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तीन वर्षों के अंकेक्षित लेखों का विवरण जिसमें समान कार्य के औसत टर्नओवर रु. 02.15 करोड़ की राशि का प्रमाणीकरण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया गया हो। उक्त वर्षों के प्राफिट एवं लॉस उकाउन्ट एवं बैलेंस शीट चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित संलग्न करना होगा।	
3	क्रमांक 2 के परिप्रेक्ष्य में आयकर रिटर्न एवं पावती जो आयकर विभाग द्वारा जारी की गई हो को स्कैन कर अपलोड करें	
4	जी.एस.टी. का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र	
5	निविदाकार सेवाप्रदाता द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रस्तुत की गयी जीएसटी विवरणी	
6	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीयन होने का वैध प्रमाण पत्र तथा माह अगस्त, सितम्बर 2020 माहों के चालान एवं ई.सी.आर. Electronic Challan cum/Return फाइल जो ऑन लाईन जनरेट किये गये हों।	
7	ई.एस.आई.सी. पंजीयन का वैध प्रमाण पत्र एवं माह अगस्त एवं सितम्बर 2020 माहों के चालान तथा अंतिम ऑनलाईन जमा रिटर्न की प्रति।	
8	श्रम कल्याण मण्डल को विगत वर्ष जमा किये गये सेवा शुल्क का विवरण	
9	निविदाकार के विगत 03 वर्ष का कार्यानुभव	
10	वर्तमान में सुरक्षा एजेंसी के साथ कितने कर्मचारी काम करते हैं संख्या	
11	प्रायवेट सिक्यूरिटी एजेंसीज (रेग्यूलेशन एक्ट 2005 का वैध पंजीयन व वैधता (पंजीयन दस्तावेज की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें)।	

निविदाकार के हस्ताक्षर व मुद्रा

M. P. Water and Land Management Institute, Bhopal								
सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सुरक्षा व्यवस्था								
Name Of Bidder								
स.क.	विवरण		राशि प्रतिमाह प्रति कर्मचारी				कुल सुरक्षा कर्मियों की संख्या	राशि प्रतिमाह
		राशि प्रति कर्मचारी कलेक्टर भोपाल द्वारा निर्धारित दर अनुसार	ई.पी.एफ.	ई.एस.आई.सी	अन्य	योग		
1	सुरक्षा सुपरवाइजर कम से कम 10वीं पास उम्र 55 वर्ष से अधिक न हो कार्य की मानीटरिंग हेतु प्रति सप्ताह 07 दिन					0	2	0
2	दक्ष सुरक्षा कर्मी कम से कम 8वीं पास अकुशल श्रेणी उम्र 50 से अधिक न हो जो यूनीफर्म और परिचय पत्र पहनकर कार्य करेंगे(तीन पालियों में प्रति सप्ताह 07 दिन					0	40	0
								0
प्रबंधकीय शुल्क/ सर्विस चार्ज								
स.क.	निविदा में दिये गये कार्यों को करने हेतु प्रबंधकीय फीस/सर्विस चार्ज (राशि प्रतिमाह रु. में)	कुल राशि रुपये प्रतिमाह (स.क. 1 एवं 2)	कुल स.क. 1 एवं 2 तथा प्रबंधकीय फीस/सर्विस चार्ज को जोड़कर सकल राशि (रुपये में प्रतिमाह)					
3		0	0					